



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली पाठ्यकां समाचार

खबरें



खण्ड—XXVIII अंक—15

15 अगस्त, 2023

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्ष्यः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥

मेरी उत्पत्ति को अर्थात् लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं; क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ।

—श्रीमद्भगवद्गीता 10/2

बधाई (चयन / पदोन्नति)

स्थापना अनुभाग—1 से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित संकाय सदस्यों को उनके नाम के आगे दिए गए पद के लिए चयनित / पदोन्नति किया गया है—

संकाय सदस्य का नाम	पिछला पदनाम	नया पदनाम	विभाग / केन्द्र	वेतनमान
प्रो. गौरव सिंह	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	अनुप्रयुक्त यांत्रिकी	₹ 1,39,600—2,11,300 (लेवल—13ए2)
प्रो. यशपाल अशोकराव जोगानंद	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	मानविकी एवं समाज विज्ञान	₹1,39,600—2,11,300 (लेवल—13ए2)
प्रो. (सुश्री) कामना पोरवाल	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	गणित	₹1,39,600—2,11,300 (लेवल—13ए2)
प्रो. चिन्मय कुमार हाजरा	सहायक प्रोफेसर	सह प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	₹ 1,39,600—2,11,300 (लेवल—13ए2)

स्वागत

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-2/2023/172548 दिनांक 20.07.2023 के अनुसार प्रो. बिजू बासुमैत्री ने 10.07.2023 से संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल—12 में सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. बिजू बासुमैत्री को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-1/2023/175079 दिनांक 20.07.2023 के अनुसार प्रो. सौमाव डे. ने 17.07.2023 से

संस्थान के सिविल इंजीनियरी विभाग में सातवें वेतन आयोग के वेतन लेवल—10 में सहायक प्रोफेसर (ग्रेड-II) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. सौमाव डे. को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो, के लिए) संस्थान द्वारा प्रायोजित “युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप” भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2023/175920 दिनांक 18.07.2023 के अनुसार डॉ. मीनाक्षी मान ने 13.07.2023 से संस्थान के कुसुमा जैव विज्ञान स्कूल में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2023/175907 दिनांक 18.07.2023 के अनुसार डॉ. मणिकान्दन एन. ने 12.07.2023 से संस्थान के सेन्स (SENSE) केन्द्र में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2023/175812 दिनांक 18.07.2023 के अनुसार डॉ. अवनीश कुमार ने 12.07.2023 से संस्थान के कुसुमा जैव विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
- स्थापना अनुभाग—I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2023/181225 दिनांक 03.08.2023 के अनुसार डॉ. (सुश्री) समीक्षा कुकल आसि ने 01.08.2023 से संस्थान के कुसुमा जैव विज्ञान में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

बधाई (पुरस्कार)

सहायक कुलसचिव (स्थापना अनुभाग-II) से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित स्टाफ सदस्यों को वर्ष 2022 का “लाइफटाइम पुरस्कार”; “श्री रामऋषि सिंह एवं श्रीमती मालती सिंह स्मृति स्टाफ नगद पुरस्कार”; “उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार” तथा “संस्थान प्रोत्साहन पुरस्कार” दिया गया।

क्र. सं	अवार्ड का नाम	अवार्डों की संख्या	मूल्य रूपए में
1.	लाइफटाइम अवार्ड 2022	01	50,000/-
2.	उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार 2022	01	40,000/-
3.	संस्थान प्रोत्साहन पुरस्कार 2022	समिति के फैसले के अनुसार	20,000/-
4.	श्री राम ऋषि सिंह एवं श्रीमती मालती सिंह स्मृति स्टाफ नगद अवार्ड 2022	02	36,000/-

“संस्थान प्रोत्साहन पुरस्कार 2022”

क्र. सं	कर्मचारी का नाम / पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	इकाई
1.	सुश्री किरन डोगरा उप प्रशासनिक अधिकारी	26255	स्थापना अनुभाग—I
“लाइफटाइम अवार्ड 2022”			
क्र. सं	कर्मचारी का नाम / पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	इकाई
1.	श्री सुभाष चंद उप तकनीकी अधिकारी	26659	यांत्रिक इंजीनियरी विभाग
“उत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कार 2022”			
क्र. सं	कर्मचारी का नाम / पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	इकाई
1.	श्री एस.बी. प्रसाद वेजेंदला कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	27033	पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी

9.	श्री एहतेशामुल इस्लाम कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	27072	पदार्थ विज्ञान एवं इंजीनियरी	13.	श्री मुकेश ठाकुर प्रशासनिक सहायक	27411	प्रकाशन एकक
10.	श्री पुनीत त्रिपाठी प्रशासनिक सहायक	27374	गणित	14.	श्री जोगिंदर सिंह प्रशासनिक सहायक	27376	आरटीआई एकक
11.	श्री विनीत पांडे प्रशासनिक सहायक	27346	स्थापना अनुभाग—I	15.	श्री राजू प्रशासनिक सहायक	27416	भर्ती प्रकोष्ठ
12.	सुश्री पायल सोनी प्रशासनिक सहायक	27422	टिकट आरक्षण कक्ष	16.	श्री प्रभाकर बिस्वाल तकनीकी सहायक	26647	केन्द्रीय कार्यशाला
				17.	श्री अशोक कुमार अटेन्डेन्ट	50023	ऊर्जा विज्ञान एवं इंजीनियरी

“श्री राम ऋषि सिंह एवं श्रीमती मालती सिंह स्मृति स्टाफ नगद पुरस्कार 2022”

क्र.सं	कर्मचारी का नाम/पदनाम	कर्मचारी कोड संख्या	विभाग	पुरस्कार
1.	श्री वीरेंद्र शर्मा कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	27083	वस्त्र एवं रेशा इंजीनियरी	नगद पुरस्कार ग्रुप 'बी' (तकनीकी श्रेणी के लिए)
2.	श्री भाग्य वर्धन तकनीकी सहायक	27492	केन्द्रीय कार्यशाला	नगद पुरस्कार (ग्रुप 'सी' एवं 'डी' श्रेणी के लिए) दो स्टाफ सदस्यों को संयुक्त रूप से दिया गया व नगद 36,000/- रु. बराबर— बराबर बांटा जायगा
3.	श्री मनोज सिंह प्रशासनिक सहायक	27279	उप निदेशक (प्रचालन) कार्यालय	

कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) के रोकथाम पर सलाह

(अस्पताल, भा.प्रौ.सं. दिल्ली से प्राप्त)

भारी बारिश के बाद से दिल्ली में अचानक कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) का प्रकोप देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिन में राष्ट्रीय राजधानी में जलभराव और बाढ़ ने तबाही मचाई है। कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू)/गुलाबी आंख के मामले अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू), या गुलाबी आंख, कंजकिटवाइटिस की जलन या सूजन है, जो नेत्रगोलक के पूरे हिस्से को कवर करती है। यह एलर्जी या बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण हो सकता है। कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) बेहद संक्रामक हो सकता है और संक्रमित व्यक्ति की आंखों के स्राव के संर्पक में आने से फैलता है।

संक्रमण से होने वाली असुविधा से बचने

के लिए आई फ्लू से बचाव आवश्यक है। व्यक्ति को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए जिसमें हाथ धोना और नंगे या गंदे हाथ से आंख को छने से बचना शामिल है। व्यक्ति को तौलिए, लैंस या चश्मा जैसी निजी चीज साझा करने से भी बचना चाहिए। जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान को ठीक से साफ करना चाहिए। आप गुलाबी आंख को कैसे रोक सकते हैं?

- अपने हाथ को बार-बार साबुन और पानी से धोएं या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।
- अपने चेहरे और आंख को बार-बार छूने से बचें।
- आंखें न मलें, रगड़ने से कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) होने

और इसे अन्य लोगों में फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

- व्यक्तिगत वस्तुएं, आई ड्रॉप, मेकअप उपाद, चश्मा और तौलिए साझा करने से बचें।
- अपने तकिये या गिलाफ बार-बार बदलें। अपना बिस्तर साफ रखें।

डॉक्टर से कब मिलना है ?

यदि आपको कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) है तो आपको आंखों में दर्द, आंखों में अत्यधिक लालिमा, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता या धुंधली दृष्टि का अनुभव हो सकता है। यदि इन लक्षणों में सुधार नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कंजकिटवाइटिस (आई फ्लू) के लक्षणों वाले नवजात शिशुओं को तुरत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

आजादी का अमृत महोत्सव

जन्मसिद्ध अधिकार है 'स्वराज'

"अग्निधर्मा लेखन की वजह से 1908 में जेल गए लोकमान्य बाल गंगधर तिलक 1914 में लौटे। राजनीति पर नरम दल के बढ़ते वर्चस्व और दम तोड़ते स्वदेशी आंदोलन को देखकर परेशान तिलक ने राष्ट्रवादी आंदोलनों की चिंगारी फिर से जलाने के लिए एनी बेसेंट के साथ मिलकर होमरुल लीग की स्थापना की। इस अभियान को सालभर के अंदर ही पूरे देश में पुरजोर समर्थन मिला। होमरुल मूवमेंट ने राष्ट्रवाद को नई दिशा दी और लोकमान्य तिलक नायक बनकर उभरे। उनकी जन्मजयंती (23 जुलाई) पर पढ़िए वह क्रांतिकारी भाषण, जिसमें उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध नारा दिया..... ।"

मेरी उम्र बहुत जवां नहीं है, लेकिन मेरे जज्बे में आज भी वही आग है। आज मैं आपसे जो कुछ भी कहूँगा वो आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक होगा। ये शरीर भले ही ढ़ल जाए, बूढ़ा हो जाए, जर्जर हो जाए, लेकिन हमारी प्रतिज्ञा अमर होती है। ठीक उसी तरह, हो सकता है हमारे स्वराज अभियान में थोड़ी शिथिलता आ जाए, लेकिन इसके पीछे की सोच और उद्देश्य शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होंगे और हम स्वतंत्रता हासिल करके रहेंगे।

स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा स्वराज जब तक मेरे अंदर जिंदा है, मैं कमज़ोर या बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई भी हथियार इस हौसले को पस्त नहीं कर सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, पानी की धारा इसे भिगो नहीं सकती, हवा के तेज झोंके भी इसे सुखा नहीं सकते। हम स्वराज की मांग करते हैं और हम इसे लेकर ही रहेंगे।

जो विज्ञान स्वराज पर खत्म होती है, वही राजनीति की भी विज्ञान होनी चाहिए, वो नहीं जो गुलामी की ओर ले जाए। राजनीति का विज्ञान ही देश का वेद है। मैं आपकी अंतरआत्मा को जगाने आया हूँ। मैं आप सबको झूठे, मक्कारों और

ठगों के झांसे से बाहर निकालने आया हूँ। स्वराज का मतलब कौन नहीं जानता? स्वराज कौन नहीं चाहता?

अगर मैं आपके घर जबरन घुस आऊँ और आपके किचन को कब्जे में ले लूँ तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे? नहीं न, मेरे घर के तमाम मसलों पर मेरा अधिकार होना चाहिए। एक सदी गुजर गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत अब भी हमें स्वराज के काबिल नहीं मानती, लेकिन अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेगे।

जब इंग्लैंड भारत का इस्तेमाल कर बेल्जियम जैसे छोटे राष्ट्र को बचाना चाहता है फिर वो हमें किस मुँह से स्वराज के काबिल नहीं मानता? जो लोग हमें गलत ठहरा रहे हैं, वो लालची और हमारे विरोधी हैं, लेकिन इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ईश्वर के निर्णय में भी खोट निकालते हैं।

हमें इस वक्त बिना कुछ और सोचते हुए देश की आत्मा की रक्षा में जुटना होगा। हमारे देश का भविष्य और समृद्धि अपने जन्मसिद्ध अधिकार यानी स्वराज में निहित है।

आपको बता दूँ कि कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पास कर दिया है। वैसे देखा जाए तो हमारे स्वराज अभियान के रास्ते में अब भी कई अड़चनें खड़ी हैं या खड़ी की जा रही हैं। बड़े स्तर पर अशिक्षा ऐसी ही एक बड़ी अड़चन है, लेकिन हम इस अड़चन को बहुत दिनों तक नहीं सह सकते। अगर हमारे देश के अशिक्षित लोगों को स्वराज की थोड़ी जानकारी भी हो, तब भी बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर का पूरा सत्य शायद ही इसमें से कोई जानता है फिर भी उसमें अटूट आस्था रखता है।

मेरा मानना है कि जो अपना काम खुद कर सकते हैं वो अशिक्षित जरूर हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख नहीं। वो किसी भी पढ़े-लिखे इंसान जैसे ही विद्वान है और अगर वो अपनी जरूरतों और परेशानियों का फर्क समझ लें तो उन्हें स्वराज के मूल्यों को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी।

इसी समाज का हिस्सा हैं और हममें से ही हैं। उनको भी समाज में समान अधिकार है। इसलिए जनमानस को जागृत करना हमारा कर्तव्य है। परिस्थितियाँ बदली हैं और हमारे लिए ये बिल्कुल सही मौका है। इस वक्त हम सबकी एक ही आवाज है—'अभी नहीं तो कभी नहीं'।

आइए हम सब इंसाफ और संवैधानिक क्रांति की राह पर चलें। संकल्प करिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। अंत परिणाम ऊपर वाले के हाथों पर छोड़ दीजिए।

साभार—दैनिक जागरण
दिनांक—17 जुलाई, 2022

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

- सामान्य आदेश/General Orders
- संकल्प/Resolution
- परिपत्र/Circulars
- नियम/Rules
- प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन/Administrative or other reports
- प्रेस विज्ञप्तियाँ/Press Release/Communiques
- संविदाएँ/Contracts
- करार/Agreements
- अनुज्ञप्तियाँ/Licences
- निविदा प्रारूप/Tender Forms
- अनुज्ञा पत्र/Permits
- निविदा सूचनाएँ/Tender Notices
- अधिसूचनाएँ/Notifications
- संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज पत्र/Reports and documents to be laid before the Parliament